## [भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

## कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2019

का.आ.\_\_\_(अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 150 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे व्यक्तियों के, जो स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं, ऐसे निदेशकों की नियुक्ति करने वाली कंपनी के उपयोग हेतु, नाम, पते और अर्हताओं को अंतर्विष्ट करने वाले डाटा बैंक का सृजन और अनुरक्षण करने के लिए, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, मानेसर (हरियाणा) को संस्थान के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना 01 दिसंबर, 2019 को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं.8/4/2018-सीएल.।-भाग-1]

के.वी -अ१२ (के.वी.आर.मूर्ति)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

0/C

[To be published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii)]

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

## **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22 October, 2019

S.O. \_\_\_ (E).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 150 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby notifies the Indian Institute of Corporate Affairs at Manesar (Haryana), as an institute to create and maintain a data bank containing names, addresses and qualifications of persons who are eligible and willing to act as independent directors, for the use of the company making the appointment of such directors.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of December, 2019.

[F. No 8/4/2018-CL-I-Part-1]

(K.V.R. Murty)

Joint Secretary to the Government of India

0/